कार्यवृत्त

शुक्रवार, 21 फाल्गुन, शक संवत्, 1937
(दिनांक : 11 मार्च, 2016)

खण्ड-44
अंक-3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त 16 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुईं एवं पढ़ी गईं गईंः–

1.श्री राजकुमार ठुकराल (पढी हुई मानी गई)	जनपद उधमसिंह नगर के 66, रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रमुख सड़क सम्पर्क मार्गों के निर्माण के संबंध में।
2. श्री मालचन्द	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के सीमान्त विकास खण्ड मोरी में प्रभावित अग्निकाण्ड पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में।
3. श्री हरभजन सिंह चीमा	नगर निगम काशीपुर की मलिन बस्तियों में पानी भर जाने से उत्पन्न समस्या का समाधान न होने से नगरवासियों में उत्पन्न रोष के संबंध में।
4. श्री तीरथ सिंह रावत	प्रदेश में अतिथि शिक्षकों हेतु सरकार की योजना के संबंध में।
5. श्री यतीश्वरानन्द	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में जंगली हाथियों के आतंक के कारण स्थानीय कृषकों को हुए नुकसान का मुआवजा बहुत कम होने से स्थानीय जनता में उत्पन्न भारी रोष के संबंध में।
6. श्री गणेश जोशी	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मंसदावाला के स्थानीय लोगों द्वारा सड़क निर्माण की समस्या को हल किये जाने वाली मांग के संबंध में।
7. श्रीमती अमृता रावत	राज्य के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु गैस वितरण केन्द्रों का विस्तार करने के संबंध में।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–310 के अन्तर्गत प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक एवं उनके सभी संबंधित साथियों की सूचना प्राप्त हुई है। वे इस विषय को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 55 के प्राविधान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2015 को सदन के पटल पर रखा।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम खेतलसण्डा मुस्ताजर क्षेत्र खटीमा में श्री महेश चन्द के घर से बाबा जी की बगिया तक 2200 मीटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री बॉबी रावत, निवासी ग्राम खेतलसण्डा

मुस्ताजर क्षेत्र खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के नगरपालिका क्षेत्र खटीमा में राष्ट्रीय राज मार्ग में जलभराव की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में'' श्री संतोष अग्रवाल, मण्डल अध्यक्ष भा0ज0पा0, निवासी नगरपालिका क्षेत्र खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के नगरपालिका क्षेत्र खटीमा में दीनदयाल पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री संतोष अग्रवाल, मण्डल अध्यक्ष भा0ज0पा0, निवासी नगरपालिका क्षेत्र खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के बढ़ेत कटखेत मोटर मार्ग के कटान से हुई क्षतिग्रस्त भूमि का प्रतिकर वर्ष 2011 से 2013 तक स्वीकृत दरों से भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती बबिता शाह, ब्लाक प्रमुख, निवासी थौलधार ग्राम दड़माली, पो0 कटखेत, विकासखण्ड थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के मानिला बरकिण्डा लिफ्ट पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री देवी दत्त शर्मा, निवासी ग्राम व पो0 मानिला जनपद अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम गाँगी खटीमा में मेन रोड़ उल्धन रोड़ की ओर 230 मीटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी ग्राम गाँगी, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा हरिद्वार में परिवहन विभाग द्वारा परमिट स्वीकृत किये जाने के विषय पर दिनांक 19.03.2015 को दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर पीठ से दिये गये निर्देश के बाद भी कार्य न होने संबंधी प्रकरण को नियम–65 के अन्तर्गत सरकार द्वारा सदन को सूचित किया। जिस पर श्री अध्यक्ष ने सरकार को निर्देशित किया कि वे इसी सत्र में इसका परीक्षण कराये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा क्षेत्र सल्ट के रोटापानी नामक स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत न होने विषयक नियम–65 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस पर कल परीक्षण कराये जाने का विनिश्चय आ चुका है।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

पेयजल मंत्री ने उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

पेयजल मंत्री ने उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

प्रदेश सरकार के कई अधिकारियों पर गरीब अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कार्मिक इन्दर सिंह व उनके परिवार पर उत्पीड़न किये जाने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अधिकारी को निलम्बित कर तत्काल कार्यवाही किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता में पिछले दो माह से चोरी डकैती की बढ़ रही घटनाओं से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

देहरादून स्थित आई0एस0बी0टी0 पुलिस चौकी द्वारा जब्त बस के चोरी होने के कारण कानून की लचर व्यवस्था से उत्पन्न आक्रोश विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री सहदेव सिंह पुण्डीर एवं श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस विभाग शीघ्र से शीघ्र घटना को हल करें तत्पश्चात वे इस संबंध में अपना निर्णय देंगे। उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुरूनानकपुर, थाना गदरपुर निवासी श्री प्रवीन सिंह को लूटने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 21 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए स्थगित की।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

प्रदेश में बिगड़ती कानून वयवस्था विषय पर नियम 310 विषयक सूचना की ग्राहयता पर श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री हरभजन सिंह चीमा ने अपने विचार व्यक्त किये । गृह मंत्री के उत्तर भाषण के मध्य –

वित मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016–17 का आय– व्ययक प्रस्तुत किया।

सदस्यों व गृह मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

पंचायतीराज मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

पंचायतीराज मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 11 मार्च, 2016 की बैठक में दिनांक 14 मार्च, 2016 से 16 मार्च, 2016 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

मार्च, 2016

14 सोमवार (1) माननीय श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा एवं पारण।

(2) बजट पर सामान्य चर्चा ।

15 मंगलवार (1) बजट पर सामान्य चर्चा।

(2) विधायी कार्य,

1. उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
2. उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
3. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
4. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

16 बुधवार (1) बजट पर सामान्य चर्चा।

(2) विधायी कार्य,

1. उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
2. उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
3. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
4. उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(शेष कार्यक्रम यथावत)

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगीः–

''राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम कियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके, जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु ये उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगीः–

''राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम कियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गो के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को

सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वे अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।''

श्री महावीर सिंह, सदस्य विधान सभा ने निम्नलिखित असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया:—

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकेन्द्रीयकृत विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।''

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य विधान सभा ने निम्नलिखित असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया:—

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर स्थित 'मां पूर्णागिरी धाम' हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी देहरादून से रेलवे लाईन का निर्माण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं जन सामान्य के हित में तथा पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।''

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा ने निम्नलिखित असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया:—

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।''

श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित असरकारी संकल्प प्रस्तुत किया:—

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विकास खण्डों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, विकास खण्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी**:—

''इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी**:—

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति ''यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये ''गंगा विकास प्राधिकरण'' की भांति ''यमुना विकास प्राधिकरण'' का गठन भी किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी**:—

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जायें।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी**:—

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।"

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा ने नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:–

"यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। "

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी**:–

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।"

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

श्री अध्यक्ष ने कहा कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।"

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

"राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/मेयर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

"राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी हैं, जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नही है, जिस पर उन्होने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियां नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसी बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नही की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते है। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहगी**:–

''प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे–छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तो पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से–

'' जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सोमेश्वर के काकड़ीघाट–दारसो मार्ग के डामरीकरण के संबंध में'' श्री ललित फर्स्वाण की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है तथा

'' उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के गठन व चुनाव कराने के संबंध में'' श्री सरवत करीम अंसारी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 06 बजकर 43 मिनट पर सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2016 के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुईं।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।